राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्

(विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागए बिहार, की एक शैक्षिक निकाय)

198 बी, श्रीकृष्णापुरी, पटना ।

संकल्प

संख्याः— 2703 दिनांकः— 15.11.97

राज्य में औधोगिक एवं सेवा प्रक्षेत्रों के लिए समुचित तकनीशियन जनशक्ति के विकास संबंधी समस्याओं पर उपाय सुझाने एवं सलाह देने तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पाठ्यक्रमों के समुचित संचालन एवं अनुश्रवण संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित करने के प्रस्ताव पर पूर्ण विचारोंपरांत पर्षद के निम्नलिखित स्वरूप वाले एक विद्वत परिषद (Academic Council) के गठन करने का संकल्प लिया है :—

1.	अध्यक्ष	—	राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद के अध्यक्ष—पदेन
2.	उपाध्यक्ष	—	पोलिटेकनिक शिक्षा निदेशक/परियोजना निदेशक/तकनीकी शिक्षा निरीक्षक के पदों पर शैक्षिक प्रशासन संवर्ग(पोलिटेकनिक शिक्षा) के पदाधिकारी या अन्यत्र पदास्थापित वरीयतम सदस्य जिन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा निर्धाकरित अर्हता प्राप्त हो—पदेन
3.	सदस्य	—	राज्य तकनीकी पाठयक्रम विकास एवं शोध केन्द्र के निदेशक—पदेन
4.	सदस्य	—	राज्य तकनीकी पठन—पाठन संसाधन विकास केन्द्र के प्राध्यापक सह अध्यक्ष—पदेन
5.	सदस्य	—	राज्य सतत तकनीकी शिक्षा ब्यूरो के ब्यूरो प्रमुख/क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, राँची—पदेन (चक्र क्रम में)
6.	सदस्य	—	नियमित प्राचार्य (पोलिटेकनिक/खनन संस्थान) (परीक्षा पर्षद के सदस्यों को छोड़कर)—पदेन (चक्र क्रम से)
7.	सदस्य	—	नियमित प्राचार्या (महिला पोलिटेकनिक) —पदेन (चक्र क्रम से) विशेष परिस्थिति में महिला शिक्षिका
8.	सदस्य	—	बोर्ड आफ स्टडीज के संयोजक (पारम्परिक शाखा—सिविल, वैद्युत एवं यांत्रिक)—चक्र क्रम से
9.	सदस्य	—	बोर्ड आफ स्टडीज के संयोजक (गैर पारम्परिक शाखा)—चक्र क्रम से (अंग्रेजी वर्णमालानुसार)
10.	सदस्य	—	बोर्ड आफ स्टडीज के संयोजक (नयी एवं उभरती शाखा—चक्र क्रम से (अंग्रेजी वर्णमालानुसार)
11.	सदस्य	—	टी॰ टी॰ टी॰ आई॰ कलकता के प्राचार्य या उनके मनोनीत प्रतिनिधि।
12.	सदस्य	—	उधोग/अभियंत्रण महाविद्यालयों के मनोनीत प्रतिनिधि।
13.	आमंत्रित सदस्य	—	पोस्ट डिप्लोमा पाठयक्रमों के विभागाध्यक्ष (चक्र क्रम से)
14.	आमंत्रित सदस्य	—	राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के संयुक्त सचिव—पदेन
15.	सदस्य सचिव	—	राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद के सचिव—पदेन

2. बैठक

यह एक स्थायी समिति (Standing Committee) होगी तथा इसकी नियमित बैठकें त्रैमासिक हुआ करेगी। आवश्यकता पड़ने पर इसकी विशेष बैठकें भी हो सकती है। बैठक का कोरम वास्तविक सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा। पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य की सदस्यता दो वर्षों की होगी तथा अंग्रेजी वर्णमालानुसार चक्र से बदला करेगी।

3. <u>विद्वत परिषद के कर्त्तव्य एवं उतरदायित्व</u>

(1) इसका मुख्य कर्त्तव्य राज्य में औधोगिक एवं सेवा प्रक्षेत्रों के लिए तकनीशियन, जन शक्ति के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों/कमजोर वर्ग के लोगों के स्वनियोजन/हुनर विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, औधोगिक एवं सेवा प्रक्षेत्र में कार्यरत तकनीशियन स्तरीय कार्यबलों के पुनरीक्षण एवं विषय ज्ञान नवीकरण की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठयक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए परियोजनायें तैयार करना, परामर्श/मंतव्य देना, उनके अनुपालन/कार्यान्वयन/अनुश्रवण में सहयोग प्रदान करना/त्वरण लाने की कार्रवाइयाँ करना होगा।

(2) यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद (अभातशिप) (नई दिल्ली) द्वारा पोलिटेकनिक शिक्षा/संस्थानों के लिए समय–समय पर निर्धारित अधिमानकों एवं दिशा निर्देशों के अनुपालन/कार्यान्वयन/अनुश्रवण में सहयोग प्रदान करना/त्वरण लोने की कार्रवाइयाँ करना होगा।

(3) यह मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार एवं टी॰ टी॰ टी॰ आई॰ के प्राप्त निर्देशों/परामर्शों पर भी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(4) यह स्टेट बोर्ड टेकनिकल एडुकेशन के अध्यक्ष/सामान्य सभा/विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगा।

(5) यह स्टेट बोर्ड से संबंधित सभी संस्थानों में पाठयक्रमों के समुचित संचालन का निरीक्षण/अनुश्रवण करेगा तथा नैदानिक कार्रवाईयाँ करेगा।

(6) यह राज्य तकनीकी पाठयक्रम विकास एवं शोध केन्द्र द्वारा विकसित/संशोधित पाठयक्रमों की प्रस्वीकृति प्रदान करेगा तथा प्रत्येक शाखा के बोर्ड ऑफ स्टडीज के गठन पर प्रस्वीकृति देगा।

(7) यह अनुषंगी संगठनों द्वारा दिये जा रहे कार्यों के लिए मानदेय निर्धारित करेगा।

(8) यह आपके कर्त्तव्य क्षेत्र के लिए उप समितियाँ गठित कर सकेगा।

ह॰/–
सचिव

ज्ञापांकः– 2703 दिनांकः– 15.11.97

प्रतिलिपिः – सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग/परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, इन्दिरा भवन, पटना/निदेशक, रा॰ त॰ पा॰ सं॰ वि॰ केन्द्र/ब्यूरो प्रमुख, राज्य सतत लघु शिक्षा ब्यूरो, पंत भवन, पटना/सभी प्राचार्य, पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/–
सहायक सचिव